

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-440/2011/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर

...अपीलार्थी

बनाम
मै0 ओम ऑयल मिल,
रूपवास, भरतपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.वैद
उप राजकीय अभिभाषक
श्री जतीन हरजाई
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.08.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 98/उपा-अपील्स/2009-10 में पारित संयुक्त आदेश 14.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.12.2009 के जरिये कायम की गयी शास्ति राशि रूपये 2,50,848/- को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने पर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.09 को वाहन सं RJ05-GA-0923 को चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल के बिल संख्या 2201 दिनांक 30.11.09 जिसे काटकर 2101 दिनांक 30.11.09 व बिल्टी संख्या 177 दिनांक 30.11.09 की प्रस्तुत की गई हैं बिल में प्रेषित फर्म मै0 ओम ऑयल मिल रूपवास का टिन नं. 08121050046 को काटकर 081210650046 अंकित किए जाने के कारण दस्तावेजों को कूटरचित एवं संदिग्ध प्रतीत होने पर राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 76(5)(a) के तहत निरुद्ध किया गया एवं मै. ओम ऑयल मिल रूपवास ने उक्त प्रकरण में पार्टी बनने का निवेदन किया गया एवं व्यवसायी के निवेदन को स्वीकार किया गया एवं व्यवसायी फर्म को नोटिस जारी किया गया जिसके जवाब में लिखित रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं माल का करापवंचना की मंशा से परिवहन के कारण राजस्थान

लगातार.....2

मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत रु 2,50,848/- को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने पर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी, व्यवहारी की ओर से कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी चैकिंग के दौरान वाहन चालक द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम धारा 76(2)(b) के अन्तर्गत वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए थे। अतः धारा 76(6) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं अपीलकर्ता खरीद करने वाला व्यवसायी है। वह न तो बिल का रचियता था एवं न ही कैरियर जो कि माल के साथ निर्धारित दस्तावेज लाने के लिए आवश्यक नहीं था। अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध शास्ति आरोपित करना अविधिक व शून्य है इन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्न ACTO Fs Jodhpur V/s Takhatmal Bhawar Lala & Co. Bholpalgarh)2001) 8 STT 231 (RHC) (2003) 16 STT 344 (RHC) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। विक्रेता व्यवसायी की बिल बुक गलत प्रिंटिंग के कारण 2101 में 2150 के स्थान पर 2201 से 2250 प्रिन्ट हो गई थी। उक्त गलती का विक्रेता व्यवसायी द्वारा सुधार कर लिया गया था एवं उक्त तथ्यों की जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन सम्भाग तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 04.12.09 को की गई थी जिसमें विक्रेता फर्म के सभी तथ्य सही पाए गए, उक्त सत्यापन रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की गई है। विक्रेता व्यवसायी द्वारा बिल में सही टिन नं 08210650046 की बजाए 0821050046 अंकित कर दिया गया था। विक्रेता फर्म द्वारा उक्त संख्या में दूरभाष पर मिली सूचना के अनुसार संशोधन कर दिया गया था। माल के परिवहन से पूर्व ही गलती में सुधार कर दिया गया था। विक्रेता व्यवसायी द्वारा बिल में वैट 4 प्रतिशत की दर से संग्रह किया हुआ है तथा इसके दस्तावेजों की जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन सम्भाग तृतीय, जयपुर, द्वारा की गई थी एवं वहा किसी प्रकार की कर चोरी प्रमाणित नहीं हुई थी और न ही प्रस्तुत बिल बोगस या मिथ्या पाया गया था। वैट इनवॉयस की दो प्रति ट्रोसपोर्टर को सौंप दी गई थी, एक बिल की प्रति दलाल को भिजवा दी गई तथा चतुर्थ प्रति विक्रेता व्यवसायी की बिल बुक में मौजूद थी। विक्रेता व्यवसायी की बिल बुक में प्रति रखी पाई गई थी। वह ट्रांसपोर्टर द्वारा लगाई गई बिल की यथावत प्रति थी। माल निरुद्ध करने के बाद वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन सम्भाग तृतीय, जयपुर द्वारा की गई जांच के दौरान चतुर्थ बिल की प्रति चैक की गई थी एवं उसका सत्यापन किया गया था एवं जांच के दौरान सही पाई गई थी। अतः यह आरोप की चतुर्थ बिल की प्रति असल बिल की यथावत प्रति नहीं है वह गलत है इन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय को यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है अतः निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त परिवहन माल के बिल बिल्टी व कांटा पर्ची मौजूद थे लेकिन बिल क्रमांक व टिन नं. में कटिंग पाए जाने के कारण करापवंचन का सन्देह होने पर वाहन को निरूद्ध किया गया था। उक्त बिल की जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन सम्भाग तृतीय, जयपुर द्वारा की गई जिसमें प्रिन्टिंग की गलती की वजह से 2101 से 2150 के स्थान पर 2201 से 2250 प्रिन्ट हो गई थी जिसमें समस्त बिल बुक में संशोधन जांच से पूर्व कर लिया गया था। वक्त परिवहन माल के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन माना है जबकि बिल में बिल क्रमांक की कटिंग की जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन सम्भाग तृतीय जयपुर में करवाई गई। जांच रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 से 45 पर मौजूद है जिससे उक्त संव्यवहार का जमा खर्च खाता बही, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है जिसमें करापवंचन की संभावना प्रतीत नहीं होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त जांच के अतिरिक्त अन्य स्तर पर जांच कर प्रस्तुत दस्तावेजों को बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मांग कायम करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया है एवं समस्त कार्यवाही मात्र संदेह, संयोग एवं शक के आधार पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम एम.एम.मैथ्यू एवं अन्य (1978) 42 एसटीसी 348 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :-

".....Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondent, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transactions carried on by the respondents and none else....."

उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अविधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय "सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भीलवाडा बनाम मै0 महेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, भीलवाडा (2009) 23 टैक्स अपडेट 123 (आरटीबी) व माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 351/2006/धौलपुर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन भरतपुर बनाम मै0 आनन्द उद्योग बिलाडा के निर्णय दिनांक 16.06.10 के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य